रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1014] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2017/अग्रहायण 30, 1939
No. 1014] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2017/ AGRAHAYANA 30, 1939

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली**, 21** दिसम्बर**,** 2017

## सं०. 67/2017– केंद्रीय कर

**सा.का.नि. 1528(अ).—**आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 40 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 1258(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 44/2017-केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा, जो जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017 और नवंबर, 2017 मास के दौरान इस प्रकार पात्र बन गए थे कि वे उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के अर्हक हैं, **प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी.-01** में घोषणा करने की समय-सीमा 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाते हैं।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2017

**No. 67/2017 – Central Tax**

**G.S.R. 1528(E).—**In pursuance of section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and clause (b) of sub-rule (1) of rule 40 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 and in supersession of notification No. 44/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1258 (E), dated the 13th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, hereby extends the time limit for making a declaration, in **FORM GST ITC-01**, by the registered persons, who have become eligible during the months of July, 2017, August, 2017, September, 2017, October, 2017 and November, 2017 to the effect that they are eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18 of the said Act, till the 31st day of January, 2018.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

**सं०. 68/2017–केंद्रीय कर**

**सा.का.नि. 1529(अ)—**आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 1416(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 60/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 नवम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 63 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 5** में किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017, नवम्बर, 2017 और दिसम्बर, 2017 मास के लिए विवरणी देने की समय-सीमा 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाते हैं।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2017

**No. 68/2017 – Central Tax**

**G.S.R. 1529(E).—**In In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification No. 60/2017-Central Tax, dated the 15$^{th}$ November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1416 (E), dated the 15$^{th}$ November, 2017,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by a non-resident taxable person, in **FORM GSTR-5**, under sub-section (5) of section 39 of the said Act read with rule 63 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the months of July, 2017, August, 2017, September, 2017, October, 2017, November, 2017 and December, 2017 till the 31st day of January, 2018.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

**सं०. 69/2017– केंद्रीय कर**

**सा.का.नि. 1530(अ)—** आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 1417(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 61/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 64 में निर्दिष्ट गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को, भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना देने वाले और डाटा बेस पहुंच या सुधार सेवाएं प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, जुलाई, 2017, अगस्त 2017, सितम्बर, 2017, अक्तूबर, 2017, नवम्बर, 2017 और दिसम्बर, 2017 मास के लिए **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 5क** विवरणी देने की समय-सीमा 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाते हैं।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2017

**No. 69/2017 – Central Tax**

**G.S.R. 1530(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and in supersession of notification No. 61/2017-Central Tax, dated the 15th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1417(E), dated the 15th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return in **FORM GSTR-5A** for the months of July, 2017, August, 2017, September, 2017, October, 2017, November, 2017 and December, 2017 by a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and rule 64 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, till the 31st day of January, 2018.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

**सं. 70/2017– केंद्रीय कर**

**सा.का.नि. 1531(अ).–** केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

**1.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2.** केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 में,**--**

(i)प्ररूप जीएसटीआर-1 में, सारणी-6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

**"6. शून्य दर पूर्तियां और समझे गए निर्यात**

| प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन | बीजक के ब्यौरे | | | शिपिंग बिल/निर्यात का बिल | | एकीकृत कर | | | केंद्रीय कर | | | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर | | | उपकर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं. | तारीख | मूल्य | सं. | तारीख | दर | कराधेय मूल्य | रकम | दर | कराधेय मूल्य | रकम | दर | कराधेय मूल्य | रकम | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **6**क. निर्यात | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6**ख. विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियां | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6**ग. समझे गए निर्यात | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | "; |

(ii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01, -

(क) सारणी 7 में, खंड (ज) में, "समझे गए निर्यात का प्राप्तिकर्ता " शब्दों के स्थान पर "समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता/समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) विवरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

**"विवरण 1क [नियम 89(2)(ज)]**

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

| क्रम सं. | प्राप्त पूर्तियों के आवक बीजकों के ब्यौरे | | | आवक पूर्तियों पर संदत्त कर | | | जारी जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे | | | जावक पूर्तियों पर संदत्त कर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं. | तारीख | कराधेय मूल्य | एकीकृत कर | केंद्रीय कर | राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर | सं. | तारीख | कराधेय मूल्य | एकीकृत कर | केंद्रीय कर | राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | "; |

**(ग)** विवरण **5**क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंत:स्थापित किया जाएगा**,** अर्थात् :--

**"विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]**

प्रतिदाय किस्म **:** समझे गए निर्यातों के लेखे

**(**रकम रुपए में**)**

| क्रम सं. | पूर्तिकार द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय की दशा में आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे | | | संदत्त कर | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं. | तारीख | कराधेय मूल्य | एकीकृत कर | केंद्रीय कर | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर | उपकर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | ;" |

(घ) घोषणा [नियम 89(2)(छ)] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

**"घोषणा [नियम 89(2)(छ)]**

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता/पूर्तिकार के लिए)

प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि पूर्तिकार ने उक्त पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि प्राप्तिकर्ता उक्त पूर्तियों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्राप्तिकर्ता ने ऐसी पूर्तियों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय भी नहीं लिया है।

हस्ताक्षर
नाम -

पदनाम / प्रास्थिति";

**वचनबंध**

मैं एतद्वारा, वचन देता हूँ कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि रिफण्ड की गई राशि के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम / एससीजीएसटी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षायें पूरी नहीं हुई है तो मैं स्वीकृत रिफण्ड की राशि तथा साथ में उस पर लगने वाले ब्याज को लौटा दूँगा।
हस्ताक्षर
नाम--

पदनाम / प्रास्थिति";

(iii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क में,-

(क) सारणी 7 में, खंड (छ) में, "समझे गए निर्यात का प्राप्तिकर्ता "शब्दों के स्थान पर "समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता/समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकार" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) घोषणा : [नियम 89(2)(च)] के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"घोषणा [नियम 89(2)(छ)]

(समझे गए निर्यात का प्राप्तिकर्ता/पूर्तिकार)

प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि पूर्तिकार ने उक्त पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि प्राप्तिकर्ता उक्त पूर्तियों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्राप्तिकर्ता ने ऐसी पूर्तियों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय भी नहीं लिया है।

हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम / प्रास्थिति";

**<u>वचनबंध</u>**

मैं एतद् द्वारा, वचन देता हूँ कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि रिफण्ड की गई राशि के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम / एससीजीएसटी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षायें पूरी नहीं हुई है तो मैं स्वीकृत रिफण्ड की राशि तथा साथ में उस पर लगने वाले ब्याज को लौटा दूँगा।

हस्ताक्षर
नाम--

पदनाम / प्रास्थिति";

(ग) विवरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

**"विवरण 1क [नियम 89(2)(ज)]**

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

| क्रम सं. | प्राप्त पूर्तियों के आवक बीजकों के ब्यौरे | | | आवक पूर्तियों पर संदत्त कर | | | जारी जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे | | | जावक पूर्तियों पर संदत्त कर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं. | तारीख | कराधेय मूल्य | एकीकृत कर | केंद्रीय कर | राज्य / संघ राज्यक्षेत्र | सं. | तारीख | कराधेय मूल्य | एकीकृत कर | केंद्रीय कर | राज्य / संघ राज्यक्षेत्र |

| | | | | | | कर | | | | | | कर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | "; |

(घ) विवरण 5क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

**"विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]**

प्रतिदाय किस्म : समझे गए निर्यातों के लेखे

**(रकम रुपए में)**

| क्रम सं. | पूर्तिकार द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे | | | संदत्त कर | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं. | तारीख | कराधेय मूल्य | एकीकृत कर | केंद्रीय कर | राज्य /संघ राज्यक्षेत्र कर | उपकर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | ;" |

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**टिप्पण:–** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 55/2017-केंद्रीय कर तारीख 15 नवंबर, 2017, जो सा.का.नि. सं. 1411(अ) तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2017

**No. 70/2017 – Central Tax**

**G.S.R. 1531(E).—**In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Thirteenth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i) in **FORM GSTR-1**, for Table – 6, the following shall be substituted, namely:-

**"6. Zero rated supplies and Deemed Exports**

| GSTIN of recipient | Invoice details | | | Shipping bill/ Bill of export | | Integrated Tax | | | Central Tax | | | State / UT Tax | | | Cess |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | Date | Value | No. | Date | Rate | Taxable value | Amt. | Rate | Taxable value | Amt | Rate | Taxable value | Amt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6A. Exports | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6B. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6C. Deemed exports | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ”; |

(ii) in **FORM GST RFD-01**,-

(a) in Table 7, in clause (h), for the words “Recipient of deemed export”, the words “Recipient of deemed export supplies/ Supplier of deemed export supplies” shall be substituted;

(b) after Statement 1, the following Statement shall be inserted, namely:-

**“Statement 1A [rule 89(2)(h)]**

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

| Sl. No. | Details of invoices of inward supplies received | | | Tax paid on inward supplies | | | Details of invoices of outward supplies issued | | | Tax paid on outward supplies | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | Date | Taxable Value | Integrated Tax | Central Tax | State / Union territory Tax | No. | Date | Taxable Value | Integrated Tax | Central Tax | State / Union territory Tax |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | ”; |

(c) after Statement 5A, the following Statement shall be inserted, namely:-

**“Statement 5B** [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

| Sl. No. | Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by | Tax paid |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient | | | | | | |
| | No. | Date | Taxable Value | Integrated Tax | Central Tax | State /Union Territory Tax | Cess |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | ;” |

(d) for the **DECLARATION [rule 89(2)(g)]**, the following shall be substituted, namely:-

**“<u>DECLARATION [rule 89(2)(g)]</u>**

(For recipient/supplier of deemed export)

In case refund claimed by recipient ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said supplies.

In case refund claimed by supplier ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed. I also declare that the recipient shall not claim any refund with respect of the said supplies and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

**<u>UNDERTAKING</u>**

I hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.

Signature

Name –

Designation / Status”;

(iii) in **FORM GST RFD-01A**,-

(a) in Table 7, in clause (g), for the words “Recipient of deemed export”, the words “Recipient of deemed export supplies/ Supplier of deemed export supplies” shall be substituted;

(b) after the **DECLARATION [rule 89(2)(f)]**, the following shall be inserted, namely:-

**"DECLARATION [rule 89(2)(g)]**

(For recipient/supplier of deemed export)

In case refund claimed by recipient ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period.I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said supplies.

In case refund claimed by supplier ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the recipient shall not claim any refund with respect of the said supplies and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

**UNDERTAKING**

I hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.

Signature

Name –

Designation / Status";

(c) after Statement 1, the following Statement shall be inserted, namely:-

**"Statement 1A [rule 89(2)(h)]**

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

| Sl. No. | Details of invoices of inward supplies received | | | Tax paid on inward supplies | | | Details of invoices of outward supplies issued | | | Tax paid on outward supplies | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | Date | Taxable Value | Integrated Tax | Central Tax | State / Union territory Tax | No. | Date | Taxable Value | Integrated Tax | Central Tax | State / Union territory Tax |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | "; |

(d) after Statement 5A, the following Statement shall be inserted, namely:-

"**Statement 5B** [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

| Sl. No. | Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/ Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient | | | Tax paid | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | Date | Taxable Value | Integrated Tax | Central Tax | State /Union Territory Tax | Cess |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | ". |

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note**.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R 610(E), dated the 19thJune, 2017 and last amended vide notification No. 55/2017-Central Tax, dated the 15th November, 2017, published *vide* number G.S.R. 1411 (E), dated the 15th November, 2017.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.12.21 22:33:07 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.